छत्तीसगढ़ विधानसभा
पत्रक भाग-एक
संक्षिप्त कार्य विवरण
शुक्रवार, दिनांक 26 मार्च, 2010
(चैत्र-5, शक संवत् 1932)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1. उल्लेख

श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी, सदस्य द्वारा उन्हें नई व्हील चेयर विधान सभा द्वारा उपलब्ध कराने पर आभार एवं धन्यवाद व्यक्त किया गया। माननीय अध्यक्ष ने सदस्यों की सुविधा के प्रति विधान सभा की जिम्मेदारी व्यक्त की।

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 18 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 04, 06 से 09, 11, एवं 13 से 15 (कुल 12) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

प्रश्न संख्या 05, 10 एवं 12 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य क्रमशः श्रीमती लक्ष्मी बघेल, सर्वश्री दूजराम बौद्ध एवं सौरभ सिंह अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में 18 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

3. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न क्रमांक 02 पर चर्चा के दौरान श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों ने शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया ।

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री कोमल जंघेल, संसदीय सचिव ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य का भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन-

(i) दिनांक 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए (सिविल एवं वाणिज्यिक) छत्तीसगढ़ शासन, तथा

(ii) दिनांक 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए (राजस्व प्राप्तियां) छत्तीसगढ़ शासन,

(2) श्री राजेश मूणत, नगरीय प्रशासन मंत्री ने छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 85 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार-

(i) अधिसूचना क्रमांक एफ 9-64/32/2005, दिनांक 5 अप्रैल, 2006.

(ii) अधिसूचना क्रमांक एफ 7-26/32/2008, दिनांक 17 दिसम्बर, 2008.

(iii) अधिसूचना क्रमांक 318/1193/32/2006, दिनांक 17 फरवरी, 2009, तथा

(iv) अधिसूचना क्रमांक 438/1572/32/2007, दिनांक 2 मार्च, 2009 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ विशेष क्षेत्र (अचल संपत्ति का व्ययन) नियम 2008

पटल पर रखे।

5. ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि-अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 22(6) के तहत कार्यसूची में 14 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को शामिल किया गया है। क्रमांक (1) से (4) की सूचनाएं सदन में पढ़ी जावेंगी जिनका उत्तर माननीय मंत्री देंगे। शेष सूचनाओं में उपस्थित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर विभागीय मंत्री का उत्तर पढ़े हुए माने जाएंगे।

(1) श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य ने रायगढ़ जिले में राशन दुकानों की खाद्यान्न सामग्री की अफरा-तफरी किये जाने की ओर खाद्य मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री पुन्नूलाल मोहिले, खाद्य मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(2) श्री देवजी पटेल, सदस्य ने राजधानी रायपुर में गृह निर्माण सहकारी समितियों के आवासीय विकसित क्षेत्र का व्यावसायिक उपयोग किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री विजय बघेल, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(3) डॉ.हरिदास भारद्वाज, सदस्य ने राजधानी रायपुर में विस्फोटक घटनाओं में वृद्धि होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री विजय बघेल, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(4) सर्वश्री मोहम्मद अकबर, परेश बागबाहरा, कुलदीप सिंह जुनेजा, सदस्य ने स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पुस्तकों की खरीदी में अनियमितता किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, स्कूल शिक्षा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(सभापति महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

माननीय सभापति की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई तथा संबंधित मंत्री द्वारा उन पर वक्तव्य पढ़े हुए माने गए :-

उप पद क्रमांक	सदस्य
(5)	सर्वश्री भोलाराम साहू, खेदूराम साहू
(6)	श्री भोलाराम साहू
(7)	सर्वश्री संतोष बाफना, बैदूराम कश्यप
(8)	मोहम्मद अकबर
(9)	श्री भोलाराम साहू
(13)	श्री टी.एस.सिंहदेव
(14)	सर्वश्री ताम्रध्वज साहू, परेश बागबाहरा

6. नियम 267-क के अधीन विषय

माननीय सभापति की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं:-

(1) डॉ.हरिदास भारद्वाज

(2) श्री सौरभ सिंह

7. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय सभापति की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गईं:-

(1) श्रीमती अंबिका मरकाम

(2) श्री रामदेव राम

(3) श्री देवजी पटेल

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि उन्होंने निम्नलिखित विधेयकों को उनकी महत्ता एवं उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए आज ही पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की है।

(1) छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 12, सन् 2010)

(2) छत्तीसगढ़ अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 13, सन् 2010)

(3) छत्तीसगढ़ विधान मंडल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 14, सन् 2010)

(4) छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 15, सन् 2010)

(5) छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 16, सन् 2010)

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

(1) छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 12, सन् 2010)

श्री कोमल जंघेल, संसदीय सचिव ने छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 12, सन् 2010) पुर:स्थापित किया।

(2) छत्तीसगढ़ अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 13, सन् 2010)

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 13, सन् 2010) पुर:स्थापित किया।

(3) छत्तीसगढ़ विधान मंडल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2010

(क्रमांक 14, सन् 2010)

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ विधान मंडल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 14, सन् 2010) पुरःस्थापित किया।

(4) छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 15, सन् 2010)

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 15, सन् 2010) पुरःस्थापित किया।

(5) छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 16, सन् 2010)

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 16, सन् 2010) पुरःस्थापित किया।

माननीय सभापति ने सदन की सहमति से शासन की ओर से प्राप्त विधेयकों की सूचनाओं पर चर्चा, विचार एवं पारण हेतु निम्नानुसार समय निर्धारित किया:-

(1)	छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 12, सन् 2010)	-	15 मिनट
(2)	छत्तीसगढ़ अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 13, सन् 2010)	-	15 मिनट
(3)	छत्तीसगढ़ विधान मंडल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 14, सन् 2010)	-	15 मिनट
(4)	छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 15, सन् 2010)	-	15 मिनट
(5)	छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 16, सन् 2010)	-	15 मिनट

9. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 3, सन् 2010)

श्री हेमचंद यादव, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 3, सन् 2010) पर विचार किया जाय तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

सर्वश्री महंत रामसुंदर दास, देवजी पटेल, (डॉ.) प्रेमसाय सिंह टेकाम, धर्मजीत सिंह, डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खंण्डशः विचार हुआ।

खंड 2 से 6 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री हेमचंद यादव, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 3, सन् 2010) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(2) छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 4 सन् 2010)

श्री हेमचंद यादव, तकनीकी शिक्षा एवं जनशक्ति नियोजन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 4 सन् 2010) पर विचार किया जाय तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

सर्वश्री (डॉ.) प्रेमसाय सिंह टेकाम, देवजी पटेल।

(सभापति महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खंण्डशः विचार हुआ।

खंड 2 व 3 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री हेमचंद यादव, तकनीकी शिक्षा एवं जनशक्ति नियोजन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 4 सन् 2010) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(3) छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 5 सन् 2010)

श्री हेमचंद यादव, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 5 सन् 2010) पर विचार किया जाय तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

महंत रामसुंदर दास,

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

श्री देवजी पटेल।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खंण्डशः विचार हुआ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री हेमचंद यादव, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 5 सन् 2010) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(4) छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 7 सन् 2010)

श्री हेमचंद यादव, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 7 सन् 2010) पर विचार किया जाय तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लियाः-

डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी, श्री देवजी पटेल।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खंण्डशः विचार हुआ।

खंड 2, 3 एवं 4 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री हेमचंद यादव, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 7 सन् 2010) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(5) पंडित सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 8 सन् 2010)

श्री हेमचंद यादव, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि पंडित सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 8 सन् 2010) पर विचार किया जाय तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

महंत रामसुंदर दास, श्री देवजी पटेल, डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खंण्डशः विचार हुआ।

खंड 2, 3 एवं 4 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री हेमचंद यादव, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि पंडित सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 8 सन् 2010) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(6) भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 2 सन् 2010)

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 2 सन् 2010) पर विचार किया जाय तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, श्री फूलचंद सिंह।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खंण्डशः विचार हुआ।

खंड 2 एवं 3 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 2 सन् 2010) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(7) छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 9 सन् 2010)

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 9 सन् 2010) पर विचार किया जाय तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लियाः-

सर्वश्री परेश बागबाहरा, दीपक कुमार पटेल।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खंण्डशः विचार हुआ।

खंड 2 एवं 3 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 9 सन् 2010) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(8) छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 10 सन् 2010)

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 10 सन् 2010) पर विचार किया जाय तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

सर्वश्री परेश बागबाहरा, दीपक कुमार पटेल, राजू सिंह ठाकुर, धर्मजीत सिंह।

(सभापति महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खंण्डशः विचार हुआ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 10 सन् 2010) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(9) छत्तीसगढ़ चिकित्सा सेवक तथा चिकित्सा सेवा संस्थान (हिंसा तथा संपत्ति की क्षति या हानि की रोकथाम) विधेयक, 2010 (क्रमांक 11 सन् 2010)

श्री अमर अग्रवाल, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ चिकित्सा सेवक तथा चिकित्सा सेवा संस्थान (हिंसा तथा संपत्ति की क्षति या हानि की रोकथाम) विधेयक, 2010 (क्रमांक 11 सन् 2010) पर विचार किया जाय तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

डॉ.हरिदास भारद्वाज, डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी, श्रीमती (डॉ.) रेणु जोगी, डॉ.सुभाऊ कश्यप, श्री रविन्द्र चौबे-नेता प्रतिपक्ष।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खंण्डशः विचार हुआ।

खंड 2 से 9 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री अमर अग्रवाल, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ चिकित्सा सेवक तथा चिकित्सा सेवा संस्थान (हिंसा तथा संपत्ति की क्षति या हानि की रोकथाम) विधेयक, 2010 (क्रमांक 11 सन् 2010) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(10) छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 12 सन् 2010)

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 12 सन् 2010) पर विचार किया जाय ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खंण्डशः विचार हुआ।

खंड 2 एवं 3 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 12 सन् 2010) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

10. घोषणा

माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से सूचित किया कि आज शुक्रवार है तद्नुसार अंतिम ढाई घन्टे अशासकीय कार्य के लिये निर्धारित है । आज सत्र का अंतिम दिन है अतः अन्य औपचारिक कार्य भी होना है । अतः शासकीय विधि विषयक कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अशासकीय कार्य लिया जाये । 139 के अंतर्गत चर्चा लंबित रहेगी ।

11. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमशः)

(11) छत्तीसगढ़ अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 13 सन् 2010)

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 13 सन् 2010) पर विचार किया जाय ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खंण्डशः विचार हुआ।

खंड 2 एवं 3 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 13 सन् 2010) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(12) छत्तीसगढ़ विधान मंडल, नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 14 सन् 2010)

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विधान मंडल, नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 14 सन् 2010) पर विचार किया जाय ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खंण्डशः विचार हुआ।

खंड 2 एवं 3 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विधान मंडल, नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 14 सन् 2010) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(13) छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 15 सन् 2010)

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 15 सन् 2010) पर विचार किया जाय ।

श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने पूर्व विधायकों की पेंशन में वृद्धि हेतु माननीय मुख्यमंत्री से विचार करने हेतु अनुरोध किया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खंण्डशः विचार हुआ।

खंड 2 से 6 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 15 सन् 2010) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(14) छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 16 सन् 2010)

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 16 सन् 2010) पर विचार किया जाय ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खंण्डशः विचार हुआ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 16 सन् 2010) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

12. अशासकीय संकल्प

(1) सदन का यह मत है कि "प्रदेश के समस्त नगर एवं ग्रामों में तालाबों एवं जलाशयों को चिन्हांकित कर सुरक्षित एवं व्यवस्थित रखी जाय।"

महंत रामसुदंर दास, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

श्री वीरेन्द्र कुमार साहू, डॉ.हरिदास भारद्वाज।

श्री रामविचार नेताम, पंचायत मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया

संकल्प सर्वानुमति से स्वीकृत हुआ।

(2) श्री सौरभ सिंह, सदस्य (अनुपस्थित)

(3) यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि " छत्तीसगढ़ प्रदेश के राज्य संरक्षित स्मारक स्थलों के विकास के लिये योजना बनाई जाकर जीर्णोद्धार किया जाय।"

डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

महंत रामसुंदर दास एवं दीपक कुमार पटेल।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संस्कृति कार्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया तथा संकल्प में संशोधन प्रस्तावित किया कि इस संकल्प में "राज्य संरक्षित" वाक्यांश के पश्चात् " तथा केन्द्र संरक्षित" जोड़ा जाय।

डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी, सदस्य ने इस हेतु सहमति व्यक्त की। तद्नुसार " छत्तीसगढ़ प्रदेश के राज्य तथा केन्द्र संरक्षित स्मारक स्थलों के विकास के लिये योजना बनाई जाकर जीर्णोद्धार किया जाय।"

यथासंशोधित संकल्प सर्वानुमति से स्वीकृत हुआ।

(4) श्री सौरभ सिंह, सदस्य (अनुपस्थित)

13. समितियों का निर्वाचन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के लिए क्रमशः 9-9 उम्मीदवारों के नाम निर्देशन प्रपत्र प्राप्त हुए हैं, चूंकि तीनों समितियों के लिए क्रमशः 9-9 सदस्य ही निर्वाचित किये जाने हैं, अतः निम्नांकित सदस्यों को उक्त समितियों के लिये निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर नियम 180 के उप नियम (1) के अधीन उक्त समितियों के सभापतियों को नियुक्त किया जाता है :-

लोक लेखा समिति

1. डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी
2. श्री सेवकराम नेताम
3. श्री नंदकुमार साहू
4. श्री बैदूराम कश्यप
5. श्री दीपक कुमार पटेल
6. श्री नंदकुमार पटेल
7. श्री मोहम्मद अकबर
8. श्री धर्मजीत सिंह
9. श्री परेश बागबाहरा

श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य, को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

प्राक्कलन समिति

1. श्री देवजी भाई पटेल
2. डॉ.सुभाऊ कश्यप
3. श्री रविशंकर त्रिपाठी
4. श्री डमरूधर पुजारी
5. श्री भीमा मण्डावी
6. महंत रामसुंदर दास

7. श्री रामपुकार सिंह
8. डॉ.हरिदास भारद्वाज
9. श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर

श्री देवजी भाई पटेल, सदस्य, को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

1. श्री नारायण चंदेल
2. डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी
3. श्री मदनलाल साहू
4. श्री ब्रम्हानंद
5. श्री राजू सिंह ठाकुर
6. डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम
7. श्री गुरू रूद्र कुमार
8. श्री शिवराज सिंह उसारे
9. श्री भजन सिंह निरंकारी

श्री नारायण चंदेल, सदस्य, को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

14. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए 9 उम्मीदवारों के नाम निर्देशन प्रपत्र प्राप्त हुए हैं, चूंकि समिति के लिए 9 सदस्य ही निर्वाचित किये जाने हैं, अतः निम्नलिखित सदस्यों को उक्त समितियों के लिये निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर नियम 180 के उपनियम (1) के अधीन उक्त समिति के सभापति को नियुक्त किया जाता है:-

1. श्री फूलचंद सिंह
2. श्री डोमरलाल कोर्सेवाड़ा
3. श्री जगेश्वर राम भगत
4. श्री रामजी भारती
5. श्रीमती लक्ष्मी बघेल
6. डॉ.हरिदास भारद्वाज
7. श्री बोधराम कंवर
8. श्री लेखराम साहू
9. श्री भोलाराम साहू

श्री फूलचंद सिंह, सदस्य, को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

15. नाम निर्देशित समितियों का गठन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 203(1), 208(1), 213, 217(1), 224(2), 225(1), 231(2), 232(1), 233(1), 234-ग, 234-घ(2) एवं 234-ज(1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं निम्नानुसार समितियों के लिए सदस्यों को वर्ष 2010-2011 की अवधि में सेवा करने के लिये तथा नियमावली के नियम 180 के उप नियम (1) के अधीन समितियों में उनके सभापतियों को नियुक्त करता हूं:-

कार्य मंत्रणा समिति

1. डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री
2. श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री
3. श्री ननकीराम कंवर, गृह मंत्री
4. श्री पुन्नूलाल मोहिले, खाद्य मंत्री
5. श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष, विधानसभा
6. श्री नंद कुमार पटेल
7. श्री मोहम्मद अकबर
8. श्री धर्मजीत सिंह

विशेष आमंत्रित सदस्य

1. श्री चन्द्रशेखर साहू, कृषि मंत्री
2. श्री अमर अग्रवाल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री
3. श्री रामविचार नेताम, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री
4. डॉ. हरिदास भारद्वाज
5. श्री रामपुकार सिंह
6. श्री बोधराम कंवर

अध्यक्ष विधानसभा उक्त समिति के पदेन सभापति होंगे।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

1. श्री सेवक राम नेताम
2. श्री नंद कुमार साहू
3. श्री डमरूधर पुजारी
4. श्री मदनलाल साहू
5. श्री लखमा कवासी
6. श्री बदरूद्दीन कुरैशी
7. श्री अग्नि चन्द्राकर

श्री सेवक राम नेताम, सदस्य, को उक्त समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

याचिका समिति

1. श्री संतोष बाफना
2. श्री ब्रम्हानंद
3. श्री रामजी भारती
4. श्री खेदूराम साहू

5. श्री ताम्रध्वज साहू
6. श्री हृदयराम राठिया
7. श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर

श्री संतोष बाफना, सदस्य, को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

प्रत्यायुक्त विधान समिति

1. श्री बैदूराम कश्यप
2. श्री विरेन्द्र कुमार साहू
3. श्री डोमनलाल कोर्सेवाड़ा
4. श्री खेदूराम साहू
5. श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह
6. श्री परेश बागबाहरा
7. श्री जयसिंह अग्रवाल

श्री बैदूराम कश्यप, सदस्य, को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति

1. श्री रविशंकर त्रिपाठी
2. श्री दयालदास बघेल
3. श्रीमती नीलिमा सिंह टेकाम
4. श्री रामजी भारती
5. श्री चैतराम साहू
6. डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम
7. श्री भजनसिंह निरंकारी

श्री रविशंकर त्रिपाठी, सदस्य, को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

विशेषाधिकार समिति

1. डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी
2. श्रीमती सुमीत्रा मारकोले
3. श्री संतोष बाफना
4. श्री दीपक कुमार पटेल
5. डॉ. शक्राजीत नायक
6. श्री टी.एस.सिंहदेव
7. डॉ. शिवकुमार डहरिया

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, सदस्य, को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

नियम समिति

1. श्री रविशंकर त्रिपाठी
2. श्री देवजी भाई पटेल
3. श्री लखमा कवासी
4. श्री टी.एस.सिंहदेव
5. श्री गुरूमुख सिंह होरा

माननीय विधि मंत्री को उक्त समिति का पदेन सदस्य नियुक्त किया गया। अध्यक्ष, विधान सभा उक्त समिति के पदेन सभापति होंगे।

सदस्य सुविधा एवं सम्मान समिति

1. श्री देवजी भाई पटेल
2. डॉ. सुभाऊ कश्यप
3. श्री दयालदास बघेल
4. श्रीमती रेणुका सिंह
5. श्री विरेन्द्र कुमार साहू

6. श्री ताम्रध्वज साहू
7. श्री शिवराज सिंह उसारे
8. श्री परेश बागबाहरा
9. श्री सौरभ सिंह

श्री देवजी भाई पटेल, सदस्य, को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

पुस्तकालय समिति

1. श्री दीपक कुमार पटेल
2. श्री जगेश्वर राम भगत
3. श्री राजू सिंह ठाकुर
4. श्री विरेन्द्र कुमार साहू
5. श्री कुलदीप सिंह जुनेजा
6. श्री राजकमल सिंघानिया
7. श्री दूजराम बौद्ध

श्री दीपक कुमार पटेल, सदस्य, को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति

1. डॉ. सुभाऊ कश्यप
2. श्री फूलचन्द सिंह
3. श्री जगेश्वर राम भगत
4. श्रीमती लक्ष्मी बघेल
5. महंत रामसुंदर दास
6. श्रीमती अंबिका मरकाम
7. श्रीमती प्रतिमा चन्द्राकर

डॉ. सुभाऊ कश्यप, सदस्य, को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

प्रश्न एवं संदर्भ समिति

1. श्री देवजी भाई पटेल
2. श्री नारायण चंदेल
3. डॉ.सुभाऊ कश्यप
4. श्री राजू सिंह ठाकुर
5. डॉ. शिवकुमार डहरिया
6. श्री रामदयाल उइके
7. श्री जयसिंह अग्रवाल

श्री देवजी भाई पटेल, सदस्य, को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

आचरण समिति

1. श्री बद्रीधर दीवान
2. डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी
3. श्री दयालदास बघेल
4. श्री लेखराम साहू
5. श्री रामदेव राम
6. श्री कुलदीप सिंह जुनेजा

माननीय मुख्यमंत्री, माननीय नेता प्रतिपक्ष उक्त समिति के पदेन सदस्य नियुक्त किये गए। अध्यक्ष, विधान सभा उक्त समिति के पदेन सभापति होंगे।

16. महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति का गठन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 234-च के उप नियम (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति में सुश्री सरोज पाण्डेय, सदस्या द्वारा विधान सभा की सदस्यता से दिए गए त्याग पत्र एवं श्रीमती लक्ष्मी बघेल उक्त समिति की सदस्यता से दिए गए त्याग पत्र से हुए रिक्त दो-स्थानों पर सर्वश्री डमरूधर पुजारी तथा श्री भीमा मंडावी को समिति की वर्ष 2009-2011 की शेष अवधि में सेवा करने के लिये नाम निर्दिष्ट किया गया।

नियमावली के नियम 180 के उप नियम (1) के तहत समिति में रिक्त सभापति के स्थान पर श्रीमती सुमित्रा मारकोले, सदस्य, को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

17. सामान्य प्रयोजन समिति का गठन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 234 के उप नियम (1) के द्वारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं निम्नानुसार सदस्यों को सामान्य प्रयोजन समिति के लिए वर्ष 2010-2011 की अवधि में सेवा करने के लिये नाम निर्दिष्ट करता हूँ :-

1. डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री
2. श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष
3. श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री
4. श्री नंद कुमार पटेल
5. श्री देवजी भाई पटेल
6. श्री नारायण चंदेल
7. श्री फूलचन्द सिंह
8. श्री सेवकराम नेताम
9. श्री संतोष बाफना
10. श्री बैदूराम कश्यप
11. श्री रविशंकर त्रिपाठी
12. डॉ कृष्णमूर्ति बांधी
13. श्री दीपक कुमार पटेल
14. डॉ. सुभाऊ कश्यप
15. श्रीमती सुमित्रा मारकोले
16. श्री बद्रीधर दीवान
17. श्री धर्मजीत सिंह
18. डॉ. शक्राजीत नायक
19. डॉ. हरिदास भारद्वाज

अध्यक्ष, विधान सभा इस समिति का पदेन सभापति होंगे।

18. अध्यक्षीय दीर्घा में अतिथि

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि छत्तीसगढ़ से राज्य सभा सांसद श्री नंदकुमार साय अध्यक्षीय दीर्घा में विराजमान हैं। सदन द्वारा मेजों की थपथपाहट से उनका स्वागत किया गया।

19. विशेषाधिकार भंग की सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि माननीय सदस्य श्री नंदकुमार पटेल द्वारा रायगढ़ निवासी सर्वश्री जगन्नाथ पाणिग्रही, गिरधर गुप्ता, गोपाल शर्मा, रोशन लाल अग्रवाल, सुभाष पांडे एवं आलोक सिंह के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना दिनांक 24 फरवरी, 2010 उनके समक्ष विचाराधीन है ।

20. नियम 167 के अंतर्गत अग्राह्य विशेषाधिकार भंग की सूचनाओं की सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमवाली के नियम 167 के मेरे समक्ष विचाराधीन निम्नलिखित विशेषाधिकार भंग की सूचनाओं को मैंने अपने कक्ष में अग्राह्य कर दिया है ।

1. माननीय सदस्य श्री शक्राजीत नायक द्वारा इण्ड एग्रो सिनर्जी ग्राम कोटमार महापल्ली जिला रायगढ़ के श्री सतीश गोयल के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना, दिनांक 21 जनवरी 2010.
2. माननीय सदस्य श्री चन्द्रशेखर साहू द्वारा छत्तीसगढ़ प्रदेश काँग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष श्री सत्यनारायण शर्मा एवं पूर्व मंत्री श्री भूपेश बघेल के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना, दिनांक 08 मार्च 2010.

21. सत्र का समापन

अध्यक्षीय उद्‌बोधन

तृतीय विधान सभा के तृतीय सत्र के समापन अवसर पर सदन के सुव्यवस्थित संचालन में सहयोग के लिये सर्वप्रथम सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी एवं आप सभी माननीय सदस्यों को हृदय से धन्यवाद् देता हूं । तृतीय विधान सभा का यह तृतीय सत्र प्रत्येक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा है । यह सत्र छत्तीसगढ़ विधान सभा

का अब तक का सबसे लम्बा सत्र रहा। 11 जनवरी से 26 मार्च तक के 75 दिवसीय इस दीर्घ सत्र में कुल 25 बैठकें सम्पादित हुईं । इस सत्र में राज्य से जुड़े प्रत्येक महत्वपूर्ण विषय पर सारगर्भित, सार्थक चर्चा हुई । इस 75 दिवसीय सत्र की कुल 25 बैठकों के माध्यम से 140 घंटे, 50 मिनट चर्चा हुई ।

यह सदन छत्तीसगढ़ राज्य की अपेक्षाओं का केन्द्र बिन्दु है। स्वाभाविक रूप से निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का आचरण, कार्य एवं व्यवहार प्रदेश को दिशा एवं गति प्रदान करता है। वस्तुतः उच्च संसदीय प्रतिमान एवं आदर्श व्यवहार के उदाहरण यदि निर्वाचित जनप्रतिनिधि स्थापित करते हैं तो निश्चित रूप से प्रदेशवासियों के साथ पूरे देश में एक अच्छा संदेश जाता है। छत्तीसगढ़ विधान सभा ने पूर्व में भी सभा के गर्भगृह में आने पर स्वमेव निलम्बन सहित अनेक उच्च संसदीय प्रतिमान स्थापित किये हैं । इसी श्रृंखला में इस सत्र में अपनी गौरवशाली श्रेष्ठ उच्च संसदीय परम्पराओं की निरन्तरता के क्रम में दिनांक 9 मार्च 2010 को सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री डॉ0 रमन सिंह जी, के द्वारा पक्ष के समस्त सदस्यों की सम्पत्ति विवरण प्रतिवर्ष सदन में प्रस्तुत करने की घोषणा की गई, पश्चात् माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री रविन्द्र चौबे जी ने भी स्वस्फूर्त सदन के नेता की घोषणा का स्वागत किया और प्रतिपक्ष के सदस्यों की भी सम्पति का विवरण बजट सत्र में प्रस्तुत किये जाने की घोषणा की गई । जो निश्चित रूप से सराहनीय पहल है । किसी संसदीय सदन के पक्ष-प्रतिपक्ष के सदस्यों के मध्य वैचारिक समन्वय और संसदीय श्रेष्ठता का इससे अच्छा उदाहरण दूसरा नहीं हो सकता ।

संसदीय सदन की गरिमा और उसका सम्मान उस सदन के माननीय सदस्यों के विचार, व्यवहार और कार्य पर निर्भर करता है । मुझे यह कहते हुए अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि आप माननीय सदस्यों में संसदीय संस्कारों की अभूतपूर्व इच्छाशक्ति की संभावनाओं को राज्य की जनता ने महसूस किया है ।

इस सत्र में जहां सदन के पक्ष-प्रतिपक्ष के वरिष्ठ सदस्यों ने अपने अनुभव और संसदीय ज्ञान कौशल से सदन के संचालन में अपना उत्कृष्ट योगदान दिया, वहीं छत्तीसगढ़ की तृतीय विधान सभा में छत्तीस माननीय सदस्य जिन्होंने प्रथम बार राज्य विधान सभा के लिए निर्वाचित होकर विधान सभा में प्रवेश किया है । उन्होंने भी संसदीय परम्पराओं और प्रक्रियाओं में अपनी अभिरूचि और विश्वास को अपने कार्य एवं व्यवहार से सदन में प्रदर्शित किया है । इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं ।

इस सत्र के दौरान देश के राजनैतिक परिदृश्य में बहुप्रतिक्षित ऐतिहासिक निर्णय महिला आरक्षण विधेयक राज्य सभा में पारित हुआ । यह उल्लेखनीय है कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य जहां के कण-कण में अपनत्व का भाव विद्यमान है, मातृ शक्ति के प्रति अनन्य अगाध श्रद्धा और सम्मान का भाव हमारे राज्य की पहचान है और इस बात का प्रमाण है कि तुलनात्मक रूप से प्रमाणित महिला-पुरूष के अनुपातिक आंकड़े में छत्तीसगढ़ राज्य का स्थान सम्मानजनक स्थान पर है और यह आंकड़े सिर्फ कागज़ी आंकड़े ही नहीं है इस बात की प्रमाणिकता को स्थापित करने के लिए राज्य की जनता ने छत्तीसगढ़ की तृतीय विधान सभा के लिए इस 90 सदस्यीय सदन में 11 महिलाओं को निर्वाचित कर भेजा है जो उल्लेखनीय है । महिला आरक्षण विधेयक के राज्यसभा में पारित होने पर सदन की माननीय महिला सदस्यों को मैं ह्दय से बधाई देता हूं।

लोकतंत्र में माननीय सदस्यों के लिए यह विधान सभा और यह सदन ही महत्वपूर्ण माध्यम होता है। यह वही सदन है जहां पर लोकहित और लोक कल्याण हेतु पक्ष-विपक्ष के माननीय सदस्य समस्याओं के समाधान के लिए संसदीय साधना करते हैं । आप माननीय सदस्य सही मायनों में छत्तीसगढ़ के सम्मान विकास और जनआकांक्षाओं के रथ के सारथी हैं । आप ही इस राज्य की विकास की दिशा को तय करेंगे। इसलिए मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप अपने दायित्वों के प्रति और अधिक सजग और सचेत होने का संकल्प लें।

लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में विधान मण्डल प्रदेश की समस्याओं पर चर्चा के माध्यम से हल निकालने का एक मात्र सशक्त स्थान है । मेरा यह मानना है कि संसदीय परम्पराओं एवं प्रक्रियाओं के पालन से ही लोकतंत्र के इस पवित्र मंदिर के महत्व को हम अक्षुण्ण बनाए रख सकते हैं । आप माननीय सदस्य इस बात का आत्ममंथन करें कि सभा में और अधिक सारगर्भित एवं सम्यक चर्चा हो, इस हेतु हमें क्या-क्या प्रयास करने चाहिए ? मैं यहां माननीय सदस्यों से अनुरोध करना समीचीन समझता हूं कि सभा की कार्यवाही में उपयोगी सूचनाएं प्राप्त करने हेतु विधान सभा के पुस्तकालय एवं संदर्भ सेवा का अधिकाधिक उपयोग करें।

इस सत्र का महत्व इसलिए भी अधिक है कि इस सत्र में वित्तीय कार्यों का सम्पादन किया गया । सरकार के द्वारा आगामी वर्ष की सम्पूर्ण कार्य योजना को सदन के समक्ष रखा गया, जिस पर माननीय सदस्यों के वैचारिक विश्लेषण उपरांत प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर शासन को सुझाव प्राप्त होते हैं और योजना के क्रियान्वयन की ओर आने वाले समय के लिए दिशा तय होती है ।

इस सत्र की यह विशेषता रही कि राज्य के विकास से सम्बद्ध समग्र विषयों पर, विभागों की मांगों पर सारगर्भित चर्चा के साथ महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण एवं वित्त मंत्री जी के बजट भाषण, बजट पर सामान्य चर्चा, अनुदान की मांगों तथा विनियोग विधेयक पर चर्चा में माननीय सदस्यों ने शासन की कार्य योजना में कमियों को इंगित करते हुए अपने महत्वपूर्ण सुझावों से शासन को नीति निर्धारण में मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान किया।

माननीय सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव एवं चर्चाओं के माध्यम से राज्य हित के समस्त विषय चाहे वे प्राकृतिक संसाधनों का दोहन अथवा संरक्षण से जुड़ा हुआ हो अथवा राज्य के शिक्षा-संस्कृति, पर्यावरण एवं औद्योगिक विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अथवा राज्य के अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के कल्याण का विषय हो, सभी विषयों पर अपनी अभिरूचि प्रदर्शित करते हुए लोक कल्याण के प्रति वचनबद्धता स्थापित की । प्रकरणों की गंभीरता को देखते हुए जिला रायपुर ग्राम हथबंध स्थित गुरूकुल आश्रम से एक बच्ची को बेचे जाने संबंधी प्रकरण महिला एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति को तथा विश्राम गृह/विश्राम भवन में एवं अन्य स्थानों में माननीय सदस्यों को ठहरने की व्यवस्था के दौरान शासन के निर्देशों, शिष्टाचार क्रम का पालन संबंधी प्रकरण सदस्य सुविधा एवं सम्मान समिति को संदर्भित किया गया ।

छत्तीसगढ़ राज्य विधान सभा राष्ट्रकुल संसदीय संघ का सदस्य है । प्रत्येक मार्च का द्वितीय सोमवार राष्ट्रकुल दिवस के रूप में समस्त राष्ट्रकुल देशों में मनाया जाता है । इस अवसर पर राष्ट्रकुल संगठन का संदेश **सम्मान भिन्नता का, संवर्धन सद्भाव का** सभा में आसंदी से वाचन किया गया ।

इस अवसर पर आप माननीय सदस्यों से एक विशेष बात यह कहना चाहता हूं कि आपको आपके संसदीय कार्य निष्पादन में सुविधा की दृष्टि से लेपटाप उपलब्ध कराए गए हैं और इसके साथ ही विधान सभा की वेबसाईट भी विकसित कर सभा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है । विधान सभा की गतिविधियों एवं कार्यवाहियों को माननीय सदस्यों एवं आम जन तक शीघ्रता से पहुंचाने के उद्देश्य से सभा के प्रतिदिन की कार्यसूची, सभा में चर्चा हेतु स्वीकृत तारांकित एवं अतारांकित प्रश्न, सभा की कार्यवाही का संक्षिप्त कार्यवाही विवरण पत्रक भाग-1 एवं सदस्यों के लिये विभिन्न सूचनायें सम्मिलित कर परिवहित किया जाने वाला पत्रक भाग-2 वेबसाइट पर प्रतिदिन अपलोड किये जाते हैं । विधान सभा की इस वेबसाइट में माननीय सदस्यों के जीवन परिचय, सभा के द्वारा पारित विधेयक, नियमावली, वेतन भत्ते सहित अन्य कई महत्वपूर्ण कार्यवाहियाँ अपलोड कर दी गई है । मैं यहां यह जानकारी भी देना चाहता हूं कि विधान सभा की वेबसाइट से छत्तीसगढ़ राज्य सहित राष्ट्रपति भवन, संसद एवं अन्य विधान सभाओं की वेबसाइट को भी लिंक कर दिया गया है । यह भी उल्लेखनीय है कि इस वेबसाइट की परिकल्पना, विकसित करना एवं प्रतिदिन इसे अद्यतन करने का कार्य विधान सभा सचिवालय द्वारा ही किया गया है । आप इस वेबसाइट से विधान सभा की प्रत्येक जानकारी अद्यतन प्राप्त कर सकते हैं । इस संबंध में आपके सुझाव भी कृपया दें कि इसमें और क्या जानकारी आप चाहते हैं ?

सूचना प्रौद्योगिकी क्रान्ति को आत्मसात करते हुये छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय ने जनवरी-मार्च सत्र 2010 में 11 मार्च से यह व्यवस्था की है कि सभा की कार्यवाही से एक दिन पूर्व सदन की कार्यवाही से संबंधित कार्य जैसे- कार्यसूची, प्रश्नोत्तरी आदि का संबंधित विभाग के प्रमुख को ई-मेल करना आरम्भ किया गया है । सत्र उपरांत समिति की बैठकों की जानकारी सहित अन्य जानकारियाँ भी अब ई-मेल से प्रेषित किया जाना प्रारम्भ किया जायेगा । आप समस्त माननीय सदस्यों से मैं विशेष रूप से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप अपना ई-मेल आई.डी. विधान सभा सचिवालय को उपलब्ध करायें ताकि प्रतिदिन की कार्यसूची, प्रश्नोत्तर सूची उन्हें उनके ई-मेल पर प्रेषित की जा सकें, जिससे कि लोक कल्याण और जनहित के कार्यों को आप शीघ्रता से सम्पादित कर सकेंगे ।

इस अवसर पर मैं आपको इस सत्र में सम्पादित हुये संसदीय कार्यों के संक्षेप में सांख्यिकीय आंकड़ों से अवगत कराना चाहूंगा । इस सत्र की कुल 75 दिवसों के दौरान 25 बैठकों में से प्रश्नकाल हेतु निर्धारित 24 बैठकों में 285 प्रश्न सभा में पूछे गये जिनके उत्तर शासन द्वारा दिये गये । इस प्रकार प्रतिदिन प्रश्नों का औसत लगभग 12 प्रश्नों का रहा, जो अब तक का सर्वाधिक औसत है । इस सत्र में 1351 तारांकित प्रश्न एवं 801 अतारांकित प्रश्नों की सूचना प्राप्त हुई । इस प्रकार कुल 2152 प्रश्नों की सूचनायें प्राप्त हुई । इस सत्र में ध्यानाकर्षण की कुल 681 सूचनायें प्राप्त हुई, जिसमें 143

सूचनायें ग्राह्य हुई और 471 अग्राह्य हुई । इस सत्र में कुल 232 स्थगन की सूचनायें प्राप्त हुईं । शून्यकाल की 149 सूचनायें प्राप्त हुईं, जिसमें 83 सूचनायें ग्राह्य और 66 सूचनायें अग्राह्य रही । वर्तमान सत्र में 416 याचिकायें माननीय सदस्यों की ओर से प्राप्त हुई, जिनमें 112 ग्राह्य व 243 अग्राह्य रही । इस सत्र में 16 विधेयकों की सूचनायें प्राप्त हुई और प्राप्त सभी विधेयकों पर चर्चा हुई तथा सभी पारित हुये ।

वित्तीय कार्यों के अंतर्गत तृतीय अनुपूरक अनुमान पर 3 घन्टे 1 मिनट, वर्ष 2010-2011 के बजट की अनुदान मांगों पर 57 घन्टे 9 मिनट चर्चा हुई तथा विनियोग विधेयक पर 4 घन्टे 7 मिनट चर्चा हुई ।

वर्तमान सत्र में लोक लेखा समिति के 20 प्रतिवेदन, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के 3 प्रतिवेदन, आश्वासन समिति के 3 प्रतिवेदन एवं प्रश्न संदर्भ समिति का एक प्रतिवेदन, पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति के 2 प्रतिवेदन, कार्यमंत्रणा समिति के 2 प्रतिवेदन, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 5 प्रतिवेदन इस प्रकार कुल 36 प्रतिवेदन प्रस्तुत हुये । इनके अतिरिक्त शासन के समस्त विभागों के वार्षिक प्रतिवेदन तथा महालेखाकार का वर्ष 2008-2009 का प्रतिवेदन भी प्रस्तुत हुआ ।

सभा की कार्यवाही में शासकीय कार्यों के अलावा सम्पादित अशासकीय कार्यों का अपना विशेष महत्व होता है। इसके माध्यम से लोकहित और जनकल्याण के विविध महत्वपूर्ण विषयों पर सदन में सार्थक चर्चा उपरान्त सर्व सहमति को प्राप्त करना निश्चित तौर पर इस सदन के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसका उदाहरण है कि माननीय सदस्य देवजी भाई पटेल द्वारा प्रस्तुत अशासकीय संकल्प कृषि योग्य भूमि के संरक्षण हेतु कृषि भूमि में उद्योग लगाने की अनुमति शासन से आवश्यक होगी, माननीय सदस्य सौरभ सिंह के द्वारा लाये गये अशासकीय संकल्प कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की शाखा खोली जाए जैसे अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर सदन ने सर्वसम्मति से संकल्प को पारित किया। इस सत्र में नियम 117 के अधीन अशासकीय संकल्प की कुल 25 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिसमें 12 ग्राह्य रही और 13 सूचनाएं अग्राह्य रहीं, 8 सूचनाएं सदन में सर्वसम्मति से पारित की गईं।

प्रदेश की सर्वोच्च प्रजातांत्रिक संस्था छत्तीसगढ़ विधान सभा के कार्यकरण से सीधे तौर पर आम जनता को अवगत कराने के उद्देश्य से सदन की कार्यवाही के अवलोकन हेतु आम नागरिकों को अवसर देती है। इस सत्र में त्रि-स्तरीय पंचायत राज के जनप्रतिनिधियों सहित विद्यालयों/महाविद्यालयों के छात्र-छात्राओं को संसदीय व्यवस्था एवं संसदीय प्रक्रियाओं से अवगत कराने के लिये उन्हें आमंत्रित कर सहित कुल 1280 लोगों को सभा की कार्यवाही दिखाई गई।

इस सत्र के दौरान स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आप माननीय सदस्यों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया साथ ही रामकृष्ण केयर हास्पिटल के विशेषज्ञों द्वारा ह्दय संबंधी निःशुल्क परीक्षण किया गया। इस महत्वपूर्ण सेवा के लिये मैं संबंधितों को और आप सभी की ओर से एवं अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ।

प्रतिवर्ष बजट सत्र के दौरान उत्कृष्ट विधायक एवं उत्कृष्ट संसदीय पत्रकार पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं। दिनांक 25 मार्च, 2010 को महामहिम राज्यपाल जी के मुख्य आतिथ्य में उत्कृष्टता अलंकरण समारोह संपन्न हुआ। जिसमें

उत्कृष्ट विधायक के लिये प्रतिपक्ष से माननीय महंत रामसुंदर दास जी एवं पक्ष से माननीय श्री दीपक पटेल जी को उत्कृष्टता अलंकरण से अलंकृत किया गया । वहीं वर्ष 2009-10 का उत्कृष्ट संसदीय पत्रकार पुरस्कार दैनिक अमृत संदेश के श्री बाबूलाल शर्मा जी को दिया गया। मैं पुरस्कार हेतु चयनित माननीय विधायक एवं पत्रकार बंधु को अपनी ओर से पुनः हार्दिक बधाई देता हूँ।

बजट सत्र के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने की परंपरा रही है। इसके तहत इस बजट सत्र में दिनांक 25 मार्च, 2010 को अखिल भारतीय कवि सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें पद्मभूषण साहित्य पुरोधा श्री गोपाल दास जी नीरज सहित देश के चुनिंदा कवियों ने अपनी कविताओं से हम सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया।

अन्त में बजट सत्र के समापन अवसर पर इस सत्र के संचालन में मैं सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी तथा समस्त माननीय सदस्यों के प्रति पुनश्चः ह्दय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप सभी के समन्वित प्रयास से इस सदन का निर्बाध संचालन संभव हो पाया।

मैं इस अवसर पर सभापति तालिका के माननीय सदस्यों के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने सभा की कार्यवाही के संचालन में मुझे सहयोग दिया।

मैं सम्माननीय पत्रकार साथियों एवं मीडिया के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने सदन की कार्यवाही को बड़ी गंभीरता से प्रचार माध्यमों में प्रमुखता से स्थान देकर प्रदेश की जनता को सभा में सम्पादित कार्यवाही से अवगत कराया। छत्तीसगढ़ दूरदर्शन, आकाशवाणी एवं अन्य मीडिया प्रतिनिधियों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट भाषण का प्रसारण किया।

सत्र की पूर्णता के अवसर पर राज्य शासन के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई देता हूँ, सुरक्षा व्यवस्था में संलग्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी बधाई देता हूँ, जिन्होंने सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था पूरे सत्र में कायम रखी।

मैं विधान सभा के सचिव श्री देवेन्द्र वर्मा जी सहित समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भी प्रशंसा करता हूँ, जिन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण कुशलता एवं निष्ठा के साथ किया।

सत्र समापन के अवसर पर आगामी सत्र की संभावित तिथि घोषित की जाती है। आगामी सत्र जुलाई माह में संभावित है।

हम सब छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कृत संकल्पित हों, इन्हीं भावनाओं के साथ धन्यवाद।

जय हिन्द! जय भारत! जय छत्तीसगढ़ !

डॉ.रमन सिंह-मुख्यमंत्री, श्री रविन्द्र चौबे-नेता प्रतिपक्ष, श्री दूजराम बौद्ध, सदस्य ने भी इस अवसर पर अपने उद्‌गार व्यक्त किये।

22. राष्ट्रगान

(सदन में राष्ट्रगान **जन-गण-मन** की धुन बजाई गई।)

सायं 4.25 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा